

पूर्व मध्य रेल

संख्या-ई/निपटारा/पेंशन अदालत/2022

धनबाद, दिनांक 01.05.2022

पेंशन अदालत अधिसूचना

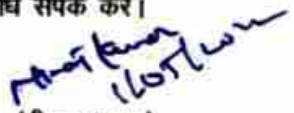
रेलवे बोर्ड का पत्र संख्या E(W)/2022/PA/4 दिनांक 30.04.2022 के परिप्रेक्ष्य में धनबाद मंडल द्वारा पेंशन परिवारों के निष्पादन के लिए दिनांक 05.05.2022 (गुरुवार) को ऑन लाईन विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेंशन अदालत का आयोजन किया जाना सुनिश्चित किया गया है।

ऑन लाईन विडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा आयोजित पेंशन अदालत में शामिल होने के लिए सेवानिवृत्त कर्मचारी/मृत कर्मचारी के आश्रित अपने पेंशन से संबंधित परिवार का पूरा विवरण निम्न प्रारूप में भर कर मंडल रेल प्रबंधक (कार्मिक) पूर्व मध्य रेल/धनबाद को दिनांक 05.05.2022 तक dhnssettlement@gmail.com पर प्रेषित कर सकते हैं।

- 1 आवेदक का नाम—
- 2 भू पू कर्मचारी का नाम
- 3 पदनाम एवं अंतिम कार्यस्थल—
- 4 भू पू कर्मचारी के साथ आवेदक/आवेदिका का संबंध—
- 5 वर्तमान पता—
- 6 सेवानिवृत्ति की तिथि—
- 7 सेवानिवृत्ति के प्रकार सामान्य/स्वैच्छिक/अनिवार्य—
- 8 भू पू कर्मचारी की मृत्यु तिथि—
- 9 प्राप्त किया गया अंतिम वेतन एवं वेतमान—
- 10 सेवानिवृत्ति के समय नियंत्रण अधिकारी—
- 11 पेंशन भुगतान आदेश संख्या (PPO No. की स्पष्ट प्रति संलग्न करें)—
- 12 बैंक का अद्यतन खाता की स्पष्ट छायाप्रति जिसमें IFSC कोड एवं खाता संख्या अंकित हो—
- 13 शिकायतों का विवरण—
- 14 मोबाईल नं.

पेंशन संबंधि परिवार उपरोक्त प्रारूप में भरकर दिनांक 04.05.2022 तक dhnssettlement@gmail.com पर प्रेषित कर सकते हैं अथवा दिनांक 05.05.2022 को सुबह 11 बजे सीधे ऑन लाईन विडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा इस video web link: <https://meet.google.com/qer-oysa-mhj> से जुड़ सकते हैं तथा पेंशन संबंधित परिवार दर्ज करा सकते हैं।

वैसे शिकायतें जो पेंशन से जुड़ी नहीं हैं जैसे अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के लिए प्रार्थना, आश्रितों का नियोजन, कालबद्ध वेतन/भत्तों का भुगतान या वेतन में बढ़ोतरी इत्यादि का पेंशन अदालत के अंतर्गत विचारणीय नहीं होगी।
नोट— जिन रेल कर्मचारियों कि पेंशन सारांशीकरण (कम्प्यूटेशन) की तिथि से सेवानिवृत्ति की 15 वर्ष की अवधि हो चुकी है या पूरी होने पर पेंशन के भुगतान हेतु कृपया पेंशन वितरक बैंक / डाकघर के पदाधिकारी से सीधे संपर्क करें।


(नीरज कुमार)

सहायक कार्मिक अधिकारी
कृते वरीय मंडल कार्मिक अधिकारी
पूर्व मध्य रेल, धनबाद

प्रतिलिपि कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

- 1 प्रमुकाधि के सचिव/पूरे— कृपया प्रमुकाधि महोदय को सादर सूचनार्थ।
- 2 मुकाय्याधी/सा. धनबाद— कृपया मंडल रेल प्रबंधक महोदय को सादर सूचनार्थ।
- 3 निस/अमरेप्र/धनबाद— कृपया अपर मंडल रेल प्रबंधक, ईफा एवं परिचाल महोदय को सूचनार्थ।
- 4 वरीय मंडल वित्त प्रबंधक/धनबाद— को सादर सूचनार्थ।
- 5 कार्याधी/एमपीपी/धनबाद— कृपया इसे वेबसाईट पर अपलोड करें।
- 6 सभी सी/एसडब्ल्यूआई/धनबाद— यूनिट संभाग में जानकारी उपलब्ध करायेगें एवं अपने बीट से संबंधित मामले में संपर्क कर मामले का निष्पादन में सहयोग प्रदान करेंगे।
- 7 मंडल कार्यकारी अध्यक्ष— ईसीआरकेयू अजा/अजजा एवं पेंशनर एशो/धनबाद मंडल।